

316-344  
22/11/10

## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रस्ताव/दिनांक/2010/180/316

दिनांक 22/11/2010

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को प्रातः 11.00 बजे संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या :: गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 में लिये गये  
1 निर्णयों की पुष्टि

बैठक में सचिव ने गत बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 में लिये गये निर्णय की अनुपालना प्रस्तुत की। इस संबंध में लिये गये निर्णय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या :: विष्णु कॉलोनी चांदणा भाखर के गन्दे नाले में बैठे  
2 व्यक्तियों को भूमि आवंटन।

विष्णु कॉलोनी, चांदणा भाकर में नाले के पास निर्धन परिवारों को ग्राम चौखा में शिफ्ट किये जाने हेतु वर्ष 2003 में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा प्रस्ताव पारित किया था। तत्समय आरयूआईडीपी द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा था जिसमें इन परिवारों के रहवास बीच में आ रहे थे। नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा तत्समय 500/- रुपये भी प्रत्येक परिवार से जमा करवाये थे। कतिपय कारणों से नाले में बसे परिवारों को शिफ्ट नहीं किया जा सका था। प्रकरण जिला स्तरीय सतर्कता समिति में दर्ज किया गया है। तत्समय 17 परिवारों को पात्र माना गया था। इस क्षेत्र में नाले में बसे लोगों को हटाया जाकर ग्राम चौखा में स्थित वाम्बे योजना के पीछे ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 28, 5 एवं चौखा के खसरा संख्या 826/644 में 50 वर्ग गज क्षेत्रफल के भूखण्ड निःशुल्क/ रियायती दर पर आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विष्णु कॉलोनी चांदणा भाकर नाले में बैठे व्यक्तियों को भूमि आवंटन आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर किये जाने का निर्णय लिया एवं इस हेतु प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया जावे किन्तु इससे पूर्व सुनिश्चित किया जावे कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त चौड़ाई का नाला निर्मित करने की कार्यवाही अमल में लायी जावे। निर्मित किये जाने वाले नाले की चौड़ाई में आने वाले प्रमाणिक व्यक्तियों/परिवारों को भूमि आवंटन की कार्यवाही उक्त अनुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या :: नगर निगम, जोधपुर को प्राधिकरण की  
3 विभिन्न योजनाएं एवं कॉलोनीयों के हस्तान्तरण की पुष्टि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधीन विकसित कॉलोनीयों को नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित करने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती रही है किन्तु

कॉलोनियों का हस्तान्तरण जोधपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जोधपुर को नहीं होना पाया गया। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर एवं आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण के मध्य चर्चा उपरान्त निम्नलिखित कॉलोनियों/कच्ची बस्तियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया:-

कं. सं.	कच्ची बस्ती/कॉलोनी का नाम	संबंधित जोन
✓ 1.	ज्योतिनगर चांदणा भाखर	पश्चिम
✓ 2.	चांदणा भाकर कच्ची बस्ती	पश्चिम
✓ 3.	चाणक्य नगर	उत्तर
✓ 4.	दारु गौदाम मण्डोर	उत्तर
✓ 5.	हरिजन बस्ती मण्डोर	उत्तर
✓ 6.	हवाला कोठडी मण्डोर	उत्तर
✓ 7.	इमरतिया बेरा मण्डोर	उत्तर
✓ 8.	कागा बारी	उत्तर
✓ 9.	मीरासी कॉलोनी कागा	उत्तर
✓ 10.	पहाडगंज प्रथम	उत्तर
✓ 11.	पहाडगंज द्वितीय	उत्तर
✓ 12.	रामबाग महामंदिर	दक्षिण
✓ 13.	संजय कॉलोनी बासनी	उत्तर
✓ 14.	फार्मबाग और मण्डोर स्टेशन रोड	पूर्व
✓ 15.	हरिपुरा व्यास कॉलोनी	पूर्व
✓ 16.	इन्द्रा कॉलोनी	पूर्व
✓ 17.	जवाहर कॉलोनी	उत्तर
✓ 18.	कागा स्कीम	उत्तर
✓ 19.	कागा शीतला माता बस्ती	उत्तर
✓ 20.	मघराज जी का टांका	उत्तर
✓ 21.	गड घाटी पुलिस चौकी के सामने	पूर्व
✓ 22.	नट बस्ती बिलाडा रोड	पश्चिम
✓ 23.	टी.बी. अस्पताल के पीछे	उत्तर
✓ 24.	बालसमंद रॉयल्टी नाका	पश्चिम
✓ 25.	भाखरी का बास सूरसागर	पश्चिम
✓ 26.	भील बस्ती प्रतापनगर	पश्चिम
✓ 27.	भीलबस्ती सूरसागर शेरगढ रोड	दक्षिण
✓ 28.	महावीर नगर हडडी मिल	दक्षिण
✓ 29.	इसाईयों का कब्रिस्तान	पश्चिम
✓ 30.	ज्योतिनगर, चांदणा भाकर (क)	पश्चिम
✓ 31.	जालेली झालरा व किया का झालरा चांदपोल	पश्चिम
✓ 32.	मेघवाल बस्ती चांदपोल (रघुनाथ जी की बावडी)	उत्तर
✓ 33.	मदेरणा कॉलोनी पार्टी संख्या 10, 11, 12, 13 14	पश्चिम
✓ 34.	मावडियों की घाटी सूरसागर	पश्चिम
✓ 35.	संजय कॉलोनी प्रतापनगर ए सेक्टर	पश्चिम
✓ 36.	संजय कॉलोनी एस.एस.बी. के पास	पश्चिम
✓ 37.	जयनारायण व्यास कॉलोनी सूरसागर	पश्चिम
✓ 38.	मेघवाल बस्ती राजबाग	दक्षिण
✓ 39.	अम्बेडकर कॉलोनी ऊन मिल कच्ची बस्ती	दक्षिण

40.	पुरानी भगत की कोठी	दक्षिण
41.	पुरानी भगत की कोठी आर.एल. से प्राप्त	दक्षिण
42.	सुभाष कॉलोनी, भगत की कोठी	दक्षिण
43.	गांधी कॉलोनी, भगत की कोठी	दक्षिण
44.	जोगमाया कॉलोनी, भगत की कोठी	दक्षिण
45.	रामदेव कॉलोनी, भगत की कोठी	दक्षिण
46.	घांची कॉलोनी, भगत की कोठी	पश्चिम
47.	तुलसी कॉलोनी	पश्चिम
48.	मीरा कॉलोनी	दक्षिण
49.	मिल्कमैन कॉलोनी	दक्षिण
50.	भगत की कोठी विस्तार	दक्षिण
51.	ट्रक टर्मिनस बासनी योजना	दक्षिण
52.	सुभाषनगर	दक्षिण
53.	सरस्वती नगर योजना	उत्तर
54.	बालसमंद	उत्तर
55.	किशोरबाग	पूर्व
56.	सरदार कलब कच्ची बस्ती	दक्षिण
57.	महाराजा हरिसिंह नगर	दक्षिण
58.	पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी	पूर्व
59.	सरदार कलब योजना	पूर्व
60.	सेन्ट्रल स्कूल योजना	पूर्व
61.	गोल्फ कोर्स योजना	पूर्व
62.	गोल्फ कोर्स व्यवसायिक योजना	पूर्व
63.	सेन्ट्रल स्कूल व्यवसायिक योजना	पश्चिम
64.	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार सेक्टर ए बी सी डी	पश्चिम
65.	कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार सेक्टर ए बी सी	पश्चिम
66.	कमला नेहरू नगर तृतीय विस्तार	पश्चिम
67.	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
68.	कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
69.	चांदणा भाखर रहवासीय कम व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
70.	एल.आई.जी.एच. प्रथम	पश्चिम
71.	कोर्णाक विद्यालय के पीछे व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
72.	एल.आई.जी.एच. स्केटर्ड	पश्चिम
73.	राजबाग सेक्टर ए व बी	पश्चिम
74.	टी.बी. अस्पताल के पास व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
75.	राजबाग व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर बी	पश्चिम
76.	खसरा संख्या 776/1 ग्राम गैवा व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
77.	सांधी बद्रर्स रेल्वे ब्रिज के पास व्यवसायिक भूखण्ड	पश्चिम
78.	आखलिया विकास योजना	पश्चिम

प्राधिकरण क्षेत्र की समस्त कच्ची बस्तियों का हस्तान्तरण नगर निगम, जोधपुर को किया जा चुका है।

इसके अलावा निम्नलिखित कच्ची बस्तियों की पत्रावलियों में अधिकार-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में पत्रावलियों में पूर्ण कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त रेकर्ड शाखा में है जिन्हें नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जानी है-

क्र.स.	कच्ची बस्ती का नाम
1	क्रिया का झालरा चॉदपोल
2	मेघवाल बस्ती चॉदपोल
3	मावड़िया का घाटी
4	बाबा नाडी चॉदपोल
5	जय नारायण व्यास कॉलोनी
6	व्यापारियो का वास सूरसागर
7	माता का कुड चॉदपोल
8	छोटी भील बस्ती चॉदपोल
9	भूरी बेरी काली बेरी
10	मेघवाल बस्ती कालीबेरी
11	नई भाखरी वास सूरसागर
12	भील भाखरी चौपड़
13	बेलदार बस्ती कालीबेरी
14	मेघवाल तिवरी चौराया
15	मेघवाल बस्ती राजबाग
16	हरिजन बस्ती राजबाग
17	कुत्तो का बाडा सूरसागर
18	संजय कॉलोनी ए प्रताप नगर
19	महावीर हड्डी मिल
20	मेघवाल वास चौपासनी
21	जय अम्बे कॉलोनी चीरघर
22	इसाइयों का कब्रिस्तान बस्ती
23	घाची कॉलोनी भगत की कोठी (जोगमाया भगत की कोठी)
24	हरिजन बस्ती भगत की कोठी
25	संजय कॉलोनी बासनी
26	जवाहर कॉलोनी सरदार कल्ब
27	सरदार कल्ब रातानाडा
28	शीतला माता कागा
29	राजबाग कॉलोनी हरिजन बस्ती
30	नागौरी बेरा हरिजन बस्ती मण्डोर
31	नृसिंह कॉलोनी पेतलाव नाडी
32	संत रविदास कॉलोनी
33	गुजराती कॉलोनी कमला नेहरू नगर
34	राजीव गाँधी कॉलोनी सोमानी कॉलेज के पास चादणा भाखर
35	जोशी कॉलोनी चादणा भाखर
36	इन्द्रा कॉलोनी चादणा भाखर
37	विष्णु कॉलोनी चादणा भाखर

2 3

38	शिव कॉलोनी चादणा भाखर
39	ज्योति त्रगर चादणा भाखर
40	दारू गोदाम मण्डोर
41	हवाला कोठड़ी मण्डोर
42	निर्माण कॉलोनी मण्डोर
43	जूनी बस्ती मण्डोर
44	मेघवाल बस्ती पूजला
45	बाल समद रॉयल्डी नोका के पास
46	जनता कॉलोनी कर्बिस्तान के पिछे मण्डोर रोड़
47	जटिया भाण्ड बस्ती भदवासिया
48	पहाड़गज कॉलोनी प्रथम मण्डोर रोड़
49	मदेरणा कॉलोनी
50	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 23
51	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 14
52	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 15
53	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 16
54	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 78
55	राजीव कॉलोनी पाल रोड़ पाटी नं. 85
56	पावू बस्ती पहाड़गज लालसागर रोड़
57	पहाड़गज कॉलोनी द्वितीय लाल सागर पाटी नं. 43
58	पहाड़गज कॉलोनी द्वितीय लाल सागर पाटी नं. 8
59	पहाड़गज कॉलोनी द्वितीय लाल सागर पाटी नं. 55
60	राजीव गॉधी मगरा पूजला पाटी नं. 5
61	राजीव गॉधी मगरा पूजला पाटी नं. 6
62	राजीव गॉधी मगरा पूजला पाटी नं. 7
63	राजीव गॉधी मगरा पूजला पाटी नं. 11
64	राजीव गॉधी कॉलोनी मगरा पूजला
65	अन्नासागर रोड़ किर्ती नगर
66	अशोक कॉलोनी मगरा पूजला पाटी नं. 1
67	अशोक कॉलोनी मगरा पूजला पाटी नं. 2
68	अशोक कॉलोनी मगरा पूजला पाटी नं. 3
69	अशोक कॉलोनी मगरा पूजला पाटी नं. 4
70	अशोक कॉलोनी मगरा पूजला पाटी नं. 13
71	राजीव गॉधी कॉलोनी कुड़ी भगतासनी खसरा नंबर 7
72	बेलदार बस्ती कुड़ी भगतासनी खसरा नंबर 7
73	मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सागरियां

23

नगर निगम, जोधपुर को की गई उपरोक्त कॉलोनियों के हस्तान्तरण की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नगर निगम, जोधपुर को प्राधिकरण की विभिन्न योजना एवं कॉलोनियों के हस्तान्तरण की पुष्टि की गयी। बैठक में उक्त योजनाओं के अतिरिक्त कबीर नगर एवं डिस्ट्रीक्ट सेंटर सरस्वती नगर को हस्तान्तरित करने का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: भूखण्ड विक्रय, नाम हस्तान्तरण आदि में देय राशि  
4 जयपुर विकास प्राधिकरण के समान नियत करने पर चर्चा

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3 (1168) नविवि/3/10 दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 द्वारा यह निर्धारित किया है कि, "विभिन्न प्राधिकरण/ न्यासों/ स्थानीय निकायों में धारा 90 बी का भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी पट्टे / लीज डीड के हस्तान्तरण हेतु हस्तान्तरण शुल्क राशि वसूली प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है।। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन नियम) 1974 के नियम 17 (6) (a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस कारण भविष्य में धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड के पट्टे लीज डीड के प्रथम हस्तान्तरण में 10/- रुपये प्रति वर्ग गज तथा गैर आवासीय लीज डीड पट्टे के हस्तान्तरण पर 20/- रुपये प्रति वर्ग गज शुल्क वसूल किये जाये। इसके पश्चात्पूर्वी प्रत्येक हस्तान्तरण पर आवासीय लीज डीड हस्तान्तरण पर 20/- रुपये एवं गैर आवासीय पर 40/- रुपये प्रति वर्ग गज से वसूल किये जाये।"

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश की पालना की जावे।

एजेण्डा संख्या :: लीज डीड नवीनीकरण शुल्क बढ़ाये जाने पर चर्चा  
5

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा पूर्व में दिनांक 24 व 25 मई, 2003 को जरिये प्रस्ताव संख्या 5 निर्णय लिया गया कि, "न्यास के भूखण्डों के भूखण्डधारी न्यास से लीज डीड का निष्पादन करवाकर समय पर उसका पंजीयन उप-पंजीयन कार्यालय से नहीं करवाते हैं व समय पर हो जाने पर पूर्व निष्पादित लीज डीड को न्यास में समर्पित कर पुनः नया लीज डीड जारी करवाने की कार्यवाही करते हैं, इस प्रकार भूखण्डधारी की त्रुटि का खामियाजा न्यास को भुगतान पडता है व कार्मिक व प्रशासनिक समय का अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना पडता है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कच्ची बस्ती के अधिकार पत्र नवीनीकरण के साथ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जावे। वर्ष 1981 के नियमन आदेश के तहत जारी लीज डीड प्रकरणों में नवीनीकरण के समय 100/- रुपये बतौर शास्ति वसूल की जावे। लीज डीड नवीनीकरण के शेष प्रकरणों में रुपये 1000/- बतौर शास्ती के रूप में वसूल करने का निर्णय लिया गया।

2 } न्यास द्वारा नवीनीकरण किये जाने की कोई अवधि नियत नहीं की थी। नवीनीकरण राशि बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

इस संबंध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के साथ चर्चा की जाकर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। पंजीयन विभाग में पट्टों/लीज डीड के पंजीयन बाबत नवीन परिपत्रों के संबंध में भी चर्चा किया जाना अपेक्षित है। पंजीयन विभाग, जोधपुर प्राधिकरण से जारी लीज डीड / नियमन पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की सुनिश्चिता चाहता है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लीज डीड का नवीनीकरण जारी होने की तिथि से 8 माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करने पर नवीनीकरण शुल्क 1000/- रुपये से बढ़ाकर 2000/- रुपये किया जावे एवं इसके बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत लीज डीड पर नवीनीकरण शुल्क 3000/- रुपये प्रति लीज डीड लिया जावे। भविष्य में लीज डीड एवं भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के समय विहित पंजीयन शुल्क व मुद्रांक शुल्क प्राधिकरण स्तर पर ही वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

**एजेण्डा संख्या :: जोधपुर विकास प्राधिकरण सेवा नियम बनाये जाने पर  
6 चर्चा**

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 जून, 2009 में निर्णय लिया गया कि जब तक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के सेवा नियम नहीं बनते हैं तब तक राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर.) एवं सी.सी.ए. रूल्स ही व्यवहार में लेने का प्रस्ताव लिया गया था। प्रकरण गठन के पश्चात् लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है किन्तु सेवा नियम नहीं बनाया जा सके हैं। इस हेतु कमेटी गठन एवं कन्सलटेन्ट की सेवाएं लिये जाने के क्रम में चर्चा एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सेवा नियम बनाये जाने हेतु कंसलटेन्ट एक्सपर्ट की सेवाएं ली जावे एवं इस हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जावे। सेवा नियम का प्रारूप बनाये जाने के पश्चात् राज्य सरकार को अनुमोदन/ सहमति हेतु भेजा जावे।

**एजेण्डा संख्या :: जोधपुर शहर में 15 मीटर से नीचे जल स्तर वाले  
7 क्षेत्रों में भूतल (बेसमेंट) निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा**

नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 10 (34) नविदि/3/ 2010 दिनांक 26 जुलाई, 2010 द्वारा निर्देशित किया गया कि, "विचार विमर्श पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में जल स्तर 15 मीटर से अधिक नीचे हैं वहां इस शर्त के साथ बेसमेंट निर्माण अनुज्ञेय किया जाये कि निर्माण से पूर्व स्ट्रक्चरल इंजिनियर से जलरोधी व भूकम्परोधी डिजायन का प्रमाण-पत्र ले लिया जाये व निर्माण पूर्ण होने पर स्ट्रक्चरल इंजिनियर से इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाये कि निर्माण संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित है।"

15 मीटर से नीचे जल स्तर वाले क्षेत्र में भूतल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। किन्तु जोधपुर शहर में किन किन क्षेत्रों में जल स्तर 15 मीटर से नीचे हैं एवं उनका जोन क्या क्या है, इसका विनिश्चयन नहीं हुआ है। भूजल विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय नलकूपों का जल स्तर साप्ताहिक रूप से लिया जाता है किन्तु इससे जोन निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जोधपुर शहर के मास्टर प्लान एवं जोन की प्रति दी जाकर भूजल की उपलब्धता की जानकारी दिये जाने हेतु निर्देश दिये जाने प्रस्तावित है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श निदेशक (आयोजना) एवं मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वे प्राधिकरण क्षेत्र में 15 मीटर से अधिक एवं नीचे जल स्तर वाले क्षेत्र की जोनिंग का कार्य कर मानचित्र पर अंकित करें। भूतल निर्माण स्वीकृति में जल रोधी व भूकम्परोधी डिजाईन का प्रमाण-पत्र व निर्माण, संरचनात्मक ढांचे से सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र स्ट्रैक्चरल इंजिनियर से लिया जावे।

एजेण्डा संख्या :: अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 के तहत बनायी गयी योजना का अनुमोदन।  
8

जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 667, 668, 670, 671, 673, 674, 675, 676 एवं 677 रकबा 82 बीघा 4 बिस्वा भूमि का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 17.06.2010 में परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय व संस्थानिक भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया गया है। उक्त भूमि पर अल्प आय वर्ग के E.W.S एवं L.I.G श्रेणी के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी एफोरडेबल हाऊसिंग पॉलिसी - 2009 के मॉडल संख्या - 4 जो कि राजकीय भूमि पर आवास बनाने सम्बन्धित है, के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया उक्त मॉडल के प्रावधानों के अनुसार जो विकासकर्ता सबसे अधिक E.W.S एवं L.I.G के आवास बनाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड किये जाने का प्रावधान है।

इस क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.08.2010 को निविदा जारी की गई। उक्त प्रोजेक्ट के क्रम में एक प्री-बिड मिटिंग का आयोजन भी दिनांक:- 23.09.2010 को किया गया। उक्त निविदा के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण में तीन विकासकर्ताओं द्वारा आवेदन किया गया तथा इस बाबत दिनांक 13.10.2010 को तकनिकी बिड खोलने का निर्णय लिया गया। तकनिकी बिड का प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति द्वारा अध्ययन कराने पर एफोरडेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दो विकासकर्ता योग्य पाये गए तथा एक विकासकर्ता अयोग्य घोषित किया गया। योजना हेतु तीन फर्मों ने आवेदन किया था। ये फर्म शिववेली डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, सतारा प्रापर्टीज व अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर मुम्बई है। शिववेली डवलपर्स को अयोग्य घोषित किया गया। अवशेष में से अरिहन्त सुपर स्ट्रैक्चर ने 1350 आवास प्रस्तावित किये। जिसमें से 844 आवास कमजोर एवं 506 आवास अल्प आय वर्ग हेतु प्रस्तावित किये हैं। जबकि सतारा प्रापर्टीज (इण्डिया) लिमिटेड ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 726 आवासगृह व अल्प आय वर्ग के लिए 486 आवासगृह कुल 1212 आवासगृह प्रस्तावित किये हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन आदेश क्रमांक प.2 (18) न.वि.वि/5/2009 पार्ट II दिनांक 15.09.2010 की अनुपालना में प्राधिकरण के समक्ष योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार ग्राम चौखा में बनायी गयी योजना एवं अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है। सफल निविदा नियमानुसार सही पाये जाने पर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

एजेण्डा संख्या :: बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये निर्मित भवनों के निर्माण के संबंध में शास्ति निर्धारित करने के संबंध में विचार विमर्श  
9



प्राधिकरण क्षेत्र में स्वतः एवं कार्यवाही किये जाने के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, जिनमें बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराये निर्माण करवा दिया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर निर्मित भवन की शास्ति क्या ली जावे। इस संबंध में कोई विनियम अथवा नीति निर्धारित नहीं हैं। धारा 90-बी नियमन के संबंध में आवासीय नियमन से पूर्व कराये गये निर्माण की शास्ती नियमानुसार नियत है:-

क.सं.	भूखण्ड का आकार	शास्ति
1-	270 वर्ग मीटर तक	2000 /-
2-	270 से 500 वर्ग मीटर	5000 /-
3-	500 वर्ग मीटर से अधिक	10,000 /-

गैर आवासीय भवन - प्रत्येक आकार हेतु निर्धारित शास्ति की तीन गुणा शास्ति नियत है।

भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाते समय निर्मित भवन पर देय शास्ति निर्धारित नहीं हैं, इस बाबत प्रचलित भवन विनियमों एवं इसके अन्तर्गत सड़क की चौड़ाई, भवन की ऊँचाई व कम्पाउण्डिंग प्रावधानों की पूर्ति की सुनिश्चितता पर निर्मित क्षेत्र पर आवासीय भवनों हेतु रुपये 100/- प्रति वर्ग मीटर तथा गैर आवासीय भवनों के लिए 200/- प्रति वर्ग मीटर तथा पार्किंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानानुसार शास्ति लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्तानुसार बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये निर्माण कराये जाने पर शास्ति आरोपित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

### एजेण्डा संख्या :: राजीव गांधी बहुउद्देशीय योजना में विविध विसंगतियों के निस्तारण पर चर्चा 10

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय योजना में लॉटरी औसवाल डाटा प्रोसेसर द्वारा कम्प्यूटर से निकाली गई, जिसमें निम्न विसंगतियां प्राप्त हुयी हैं।

(1) राजीव गाँधी में लॉटरी द्वारा उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में एवं निम्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में भूखण्ड आवंटन लॉटरी द्वारा।

राजीव गाँधी योजना में विभिन्न आकार के 29 भूखण्डों निम्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में एवं उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग में आवंटन हुए हैं। जिनका आवंटन पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रकरण लॉटरी समिति में रखा गया था। जिसमें निम्न निर्णय लिया गया है:-

(A) 'प्रार्थी द्वारा उच्च आय वर्ग में आवेदन किया है, तथा लॉटरी में निम्न आय वर्ग का आवंटन हुआ है उसमें प्रार्थी द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आयगुप अनुसार आवंटन राशि जमा करानी होगी।

(B) 'प्रार्थी द्वारा निम्न आय वर्ग में आवेदन किया है, तथा लॉटरी में उच्च आय वर्ग का आवंटन हुआ है। ऐसे प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त योजना में नियत आय, गुप की आरक्षित दर से राशि जमा करानी होगी। प्रकरण प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन व्यक्तियों को प्राधिकरण के कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण भूखण्ड छोटा या बड़ा आवंटित हुआ है, ऐसे प्रकरणों में आवेदक द्वारा जिस वर्ग में आवेदन किया था लॉटरी द्वारा उसी वर्ग में उपलब्ध भूखण्डों में से आवंटन किया जावे।

(2) राजीव गाँधी योजना में भूखण्डधारियों द्वारा आय वर्ग में 1/- आय वर्ग से कम अथवा अधिक दर्शायी है:-

राजीव गाँधी योजना में भूखण्डधारियों द्वारा आय वर्ग में रु. 1 /- कम अथवा अधिक दर्शाते हुए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके फलस्वरूप आवंटित भूखण्डों की लीजडीड आदि की कार्यवाही नहीं हो रही है। आय वर्ग में रु. 1/- कम अथवा अधिक दर्शाने पर भूखण्ड निरस्त किया जावे अथवा आय वर्ग 150/- रुपये कम व अधिक तक की आय तक के प्रकरणों में भूखण्ड आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जावे। प्रकरण प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियत आय वर्ग से 1/- रुपये से 100/- रुपये तक आय कम या अधिक होने पर आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जाकर राशि जमा करवायी जावे।

3- राजीव गांधी नगर योजना में समिति द्वारा आय ग्रुप के अनुसार आय कम/अधिक आय प्रमाण-पत्र में दर्शाने वाले भूखण्डों को निरस्त किया गया है। निरस्त किये गये भूखण्डधारियों द्वारा जमा राशि का रिफण्ड दिलाने की मांग कर रहे हैं। पत्रावली में निदेशक-विधि से राय ली गई जिसमें बताया गया कि राजीव गांधी नगर बुकलेट अन्य महत्वपूर्ण शर्तों के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार नियम विरुद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन-पत्र/आवंटन-पत्र निरस्त किया जाकर भूखण्ड की जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः भविष्य में भूखण्ड के लिए आवेदन करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। निदेशक-विधि की राय के अनुसार राजीव गांधी योजना में किये गये निरस्त भूखण्ड का रिफण्ड किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में रिफण्ड की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा सकती है।

4- राजीव गांधी आवासीय योजना में 42000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से लॉटरी में 3078 भूखण्डों का आवंटन हुआ है। 3076 भूखण्डधारियों के आवंटन पत्रों को निष्पादित किये हैं। 2 आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं :-

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भीकम सिंह शर्मा आवेदन संख्या 24762 तथा भूखण्ड संख्या आई-96(6X15) का आवंटन हुआ है।
2. श्री हीरानन्द कृपलानी पुत्र श्री मोटुमल आवेदन संख्या 25180 तथा भूखण्ड संख्या एच-578(6X15) का आवंटन हुआ है।

अतः उपरोक्त आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। अतः दोनों प्रार्थियों से आवेदन की फोटो प्रति प्राप्त की गई है।

23

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक से फोटो प्रतियां प्राप्त कर डुप्लीकेट पत्रावली खोली जावे।

5- राजीव गांधी आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये हैं तथा आवंटन पत्र प्रार्थियों को जारी किये गये हैं आवंटन पत्र प्रार्थी को प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटित भूखण्ड लेने के इच्छुक नहीं हैं। भूखण्ड की कीमत राशि जमा करने में असमर्थता दर्शाई है। अतः प्रार्थी द्वारा जमा राशि का रिफण्ड की मांग की है।

रिफण्ड हेतु प्रकरण निदेशक विधि/वित्त शाखा से रिपोर्ट ली गई है। रिपोर्ट में बताया कि 1974 भूमि निष्पादन नियम में आवंटन के पश्चात् रिफण्ड करने का प्रावधान नहीं बताया है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमों में रिफण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। अतः रिफण्ड की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

6- राजीव गांधी आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-439 (15 गुणा 25) आकार का भूखण्ड श्री विकास पायल को आवंटन हुआ। प्रार्थी को आवंटन पत्र दिनांक 09.03.10 को डिस्पेच किया गया है।

प्रार्थी श्री विकास पायल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटित भूखण्ड संख्या ए-439 (15 गुणा 25) मार्किंग अनुसार 10 मीटर गहरे नाले में आ रहा है। जहां आवास का निर्माण करना सम्भव नहीं है। अतः आवंटित भूखण्ड के बदले दूसरा भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

इस संबंध में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की मौका रिपोर्ट पत्रावली में प्राप्त की जिसमें बताया कि उपरोक्त भूखण्ड गहरे नाले में आया हुआ है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से करवाना होगा।

7- राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-359 (12.50 गुणा 22) आकार का भूखण्ड श्रमती संतोष वैष्णव पत्नी श्री घनश्याम वैष्णव को आवंटन हुआ।

प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या ए-359 एस.सी. कटेगरी के अनुसार आवंटन हुआ है। आवेदन पत्र में एस.सी. कटेगरी में चिन्हित कर पुनः प्रार्थी द्वारा कांट-छांट किया गया है जबकि प्रार्थीनी एस.सी. नहीं है जिसका प्रकरण राजीव गांधी योजना की गठित समिति में रखा गया। समिति ने निर्णय लिया कि व्यक्तिगत सुनवाई सचिव महोदय द्वारा किया जावे। सचिव महोदय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से करवाना होगा।

8- राजीव गांधी आवासीय योजना में आवेदन संख्या 49267 नाम टीना जैन पत्नी राहुल जैन है। प्रार्थी द्वारा आवेदन 15000/- धरोहर राशि जमा कराकर भूखण्ड आकार 162 व.मी. हेतु किया है।

परन्तु लॉटरी लिस्ट में आवेदन संख्या 49267 पर श्रीमती दया पुरोहित पत्नी हंसराज को भूखण्ड संख्या बी-133 (252 व.मी.) का आवंटन हुआ है। जिसका आवेदन पत्र संख्या 49260 है। एवं लॉटरी लिस्ट में 49267 किया हुआ है। जो कम्प्यूटर की गलती है। श्रीमती दयापुरोहित द्वारा आवेदन 20000/- धरोहर राशि जमा कराकर भूखण्ड आकार 252 व.मी. में किया है। वस्तुतः आवेदन-पत्र क्रमांक श्रीमती टीना जैन का है व आवंटी के नाम पर श्रीमती दया पुरोहित है व भूखण्ड श्रीमती दया पुरोहित द्वारा दी गयी विशिष्टियों के अनुसार है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से करवाना होगा।

9- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 15.02.2010 को राजीव गांधी नगर के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों का आवंटन किया गया था। सफल आवेदकों को भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.05.2010, 09.05.2010, 12.06.2010, 13.06.2010 एवं दिनांक 06.09.2010 कैम्प का आयोजन कर भूखण्डों की लीजडीड जारी की गई थी। कैम्प के दौरान ऐसे कई प्रकरण जिस पर हस्ताक्षर होकर पूर्ण हो गई एवं डिस्पेज भी कर दी गई लेकिन आवंटियों को सुपर्द नहीं की जा सकी। इनमें ऐसे प्रकरण भी हैं, जो TRIPARTITE AGREEMENT के हैं, इन लीजडीडों को सम्बन्धित बैंक को सुपर्द किया जाना था। एवं उन्हीं के माध्यम से आवंटी उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन हेतु उपस्थित होना था। बैंक प्रतिनिधि द्वारा भी लीजडीडे प्राप्त नहीं की गई थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.06.2010 के अनुसार दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से 2 माह है। ऐसे लगभग 102 प्रकरण हैं। इन भूखण्ड धारकों ने निवेदन किया है, कि जब उन्हें लीजडीड प्राप्त ही नहीं हुई तो वे इसका पंजीयन कैसे करवाते। अतः उन्हें पूर्व में जारी लीजडीड को निरस्त करते हुए नये लीजडीड फार्म प्राप्त कर पुनः लीजडीड जारी की जानी उचित रहेगी।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डधारियों को लीज डीड तैयार होने के पश्चात् सुपर्द नहीं की जा सकी एवं जिसमें आवंटियों का कोई दोष नहीं है उनकी लीज डीड निरस्त करते हुए नई लीज डीड जारी की जावे।

10- राजीव गांधी योजना में कमजोर आय वर्ग के 500 भूखण्ड राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर आवासीय योजना, गंगाणा रोड़, जोधपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के कुल 500 विकसित भूखण्ड व इसी योजना में ग्रुप हाउसिंग के बहुमंजिले आवासों हेतु विकसित भूमि के भूखण्ड राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित किये गये थे।

अतः प्राधिकरण द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को उपरोक्त 500 भूखण्ड आवंटन कराने हेतु डिमाण्ड नोट 3,82,50,000 का पत्र दिनांक 19/03/2010 को प्रेषित किया गया है। किन्तु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त राशि प्राधिकरण कोष में जमा

नहीं कराए है। व्यक्तिशः चर्चा में उपायुक्त, आवासन मण्डल ने इन भूखण्डों को लेने में अनिच्छा जाहिर की है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासन मण्डल सर्व प्रथम इन भूखण्डों के लिए आवेदन आमंत्रित करें। यदि पर्याप्त मात्रा में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवासन मण्डल को राजीव गांधी नगर में अन्य स्थान पर भूखण्ड आवंटित करने की कार्यवाही की जावे।

**एजेण्डा संख्या :: पूर्वी पाल रोड़, रामराज नगर व दन्तोपत ठेंगडी नगर में लॉटरी द्वारा किये गये आवंटनों का अनुमोदन।**  
11

पूर्वी पाल रोड़ योजना में सेक्टर ए पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा सेक्टर डी एवं सेक्टर जी पर न्यायिक विवादों के कारण पूर्वी पाल रोड़ योजना से अतिक्रमण से मुक्त की गयी भूमि खसरा संख्या 740/1002, 740/1003, 740/1004, 740/1005, 740/1008, 740/1009, 740/1014, 740/1015, 740/1016 पर योजना के मानचित्र में आंशिक संशोधन कर नवीन सेक्टर आई बनाया जाकर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं तथा इसी प्रकार रामराज नगर व दन्तोपत ठेंगडी नगर में लॉटरी निकाल कर आवंटन किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण के समक्ष की गयी उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निकाली गई लॉटरी का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन से पूर्व सहमति पत्र लिया जावे।

**प्रस्ताव संख्या :: कीर्तिनगर सेक्टर बी को डि-नोटिफाईड किये जाने एवं अतिक्रमण होने से योजना के आवंटियों को अन्यत्र भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा।**  
12

नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा वर्ष 1988 में जोन उत्तर में कीर्ति नगर नामक आवासीय योजना विकसित की गई। उक्त योजना में सेक्टर बी में भूखण्डों का आवंटन किया गया। भूखण्डों का आवंटन होने के पश्चात् कीमत राशि जमा करवाकर आवंटित भूखण्ड धारियों को लाईसेंस व साईट प्लान जारी कर दिये गये। वर्तमान में उक्त आवंटित भूखण्डों में अधिकांश पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। जोधपुर नगर विकास न्यास की बैठक दिनांक 1.2.07 के प्रस्ताव संख्या 6 में कीर्ति नगर सेक्टर "बी" को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। आवंटित भूखण्ड धारी उक्त भूखण्डों का कब्जा दिलाने अथवा अन्यत्र भूखण्ड आवंटन बाबत उपभोक्ता मंच में वाद भी दायर कर रखे है। पूर्व में भी माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में कुछ आवंटियों को अन्यत्र भूखण्ड भी आवंटित दिये गये थे परन्तु सेक्टर "बी" में अभी भी 161 भूखण्ड धारियों को अन्यत्र भूखण्ड आवंटन किया जाना है। इन आवंटियों के भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति काबिज है। योजना में कुल 232 आवंटी है।

अतः कीर्ति नगर सेक्टर बी के शेष रहे आवंटियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी योजना एवं इसके समीप ही रिक्त भूमि पर समतुल्य भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन आवंटन प्रकरणों में भूखण्ड की संपूर्ण कीमत जमा हो चुकी है अथवा उनमें लीज डीड भी जारी हो चुकी है एवं उन्हें कीर्तिनगर सेक्टर बी में आवंटी को कब्जा नहीं दिया गया है उन्हें आवंटित भूखण्डों के बदले प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना के समीप योजना बनायी जाकर समतुल्य भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जाने का विनिश्चय किया गया। अवशेष प्रकरणों में राशि रिफण्ड की जावे। अतिक्रमियों का प्रकरणवार (कैस टू कैस) पत्रावली बनाकर विवरण पृथक से आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जावे जिससे उन पर भी निर्णय लिया जा सके। साथ ही वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन से पूर्व सहमति पत्र लिया जावे।

एजेण्डा संख्या :: दन्तोपंत ढेगडी नगर में स्थित भूखण्ड संख्या 1 से 154 के संबंध में।

न्यास की दन्तोपन्त ढेगडी नगर योजना में दिनांक 25.07.2008 को कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन किये गये थे। सफल आवंटियों द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया था। योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 154 के बाबत उम्मेदाराम बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या जोधपुर में अधिनस्थ न्यायालयों का स्थगन आदेश प्राप्त था। जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2009 को जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो जाने पर प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 1 से 154 तक में से कुल 62 भूखण्डों की लीजडीड तैयार कर दी थी। मौके पर आवंटियों को भूखण्ड का भौतिक कब्जा सुपुर्द किये जाने से पूर्व ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में फिर से एस. बी. स्थिति सिविल रिट पिटिशन संख्या 2500/10 श्री उम्मेदाराम बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थगन आदेश प्राप्त हो गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2010 से स्थगन वैकैट किया गया। दन्तोपन्त ढेगडी नगर योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 154 तक के आवंटियों जिनकी लीजडीड तैयार हैं। उसे ही नवीनीकरण कर दिया जा रहा है। जिससे उनकी वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी बाजार दर से वसूल की जा रही है। एवं पंजियन शुल्क भी शास्ती सहित वसूल किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालयों में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों में बाद लम्बित रहने के कारण आवंटियों को जारी लीजडीड सुपुर्द नहीं की जा सकी। पंजियन विभाग पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि के अनुसार पंजियन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर रहा है। इससे लगभग तीन गुना से अधिक स्टाम्प एवं पंजियन शुल्क की राशि देय होती है। भूखण्ड धारको ने निवेदन किया गया है कि जब उन्हें लीजडीड प्राप्त ही नहीं हुई तो वे इसका पंजियन कैसे करवाते। अतः उन्हें पूर्व में जारी लीजडीड को निरस्त करते हुए नये लीजडीड फार्म प्राप्त कर पुनः लीजडीड जारी की जाना उचित रहेगी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्णय की प्रक्रिया के कारण तैयारसुदा लीज डीड आवंटियों को सुपुर्द नहीं की जा सकी अब पुरानी तारीख में जारी लीज डीड आवेदकों को दी जाती है तो वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.08.2010 के अनुसार आवंटियों को पंजियन शुल्क का अतिरिक्त भार पड़ेगा जबकि आवंटियों को लीज डीड सुपुर्द ही नहीं की गयी। अतः पूर्व में जारी लीज डीड को निरस्त कर नई लीज डीड जारी की जावे।

एजेण्डा संख्या :: विभिन्न भूखण्ड आवंटनों के प्रकरणों के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में समय समय पर विभिन्न प्रकरणों में एवं न्यायालय के आदेश की पालना में भूखण्ड आवंटित किये जाने होते हैं एवं कई प्रकरणों में आवंटी द्वारा भूखण्डों की संपूर्ण कीमत जमा करा दी जाती है किन्तु अतिक्रमण होने या अन्य किसी कारणों से योजना में भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदकों को भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया जा सका है। न्यायालय के निर्णय या आवंटी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवंटी द्वारा अन्य योजनाओं में समतुल्य भूखण्ड की मांग की जाती है।

इस हेतु गुणावगुण के आधार पर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के परीक्षण उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रकरणवार निर्णय लिये जाने हेतु बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें एवं प्रकरण में अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अवलोकन करवाने के उपरान्त निर्णय को क्रियान्वित करें एवं आगामी प्राधिकरण बैठक में आव यक समझे जाने पर अनुमोदन करावें।

**एजेण्डा संख्या :: विभिन्न संस्थाओं/समाजों को भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को किये जाने के संबंध में।**  
15

प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न संस्थाओं/समाजों को विभिन्न प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन किये जाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र के अनुसार अत्यावश्यक प्रकरणों में ही संस्थाओं/समाजों के प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को अग्रपिहित किये जाने हैं। परिपत्र क्रमांक प. 3 (615) नविवि/3/09 दिनांक 4 जनवरी, 2010 के अनुसार राज्य सरकार संस्थाओं का भूमि आवंटन हेतु एक नीति बना रही है। संस्थाओं को भूमि आवंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रपिहित करने हेतु आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किया जाना उचित होगा जो अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 23 (615) नविवि/3/09 दिनांक 4 जनवरी, 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव आयुक्त महोदय के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये जावे। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जावे।

**एजेण्डा संख्या :: पुराने अतिक्रमणों के एवज में भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में।**  
16

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में राजकीय भूमि पर समय समय पर अभियान चलाये जाकर अतिक्रमण हटाये गये हैं। हटाये गये अतिक्रमणों में कुछ स्थानों पर निर्धन एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के भी अतिक्रमण हटाये गये हैं। अतिक्रमण हटाये जाने के फलस्वरूप उक्त निर्धन एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के सामने रहवास की समस्या सामने आती हैं। नियमों में ऐसे अतिक्रमणों के एवज में भूखण्ड आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना कई बार आवश्यक समझा जाता है। फिलहाल ऐसे प्रकरण निम्न है:-

1- श्री उम्मेदाम जाति मेघवाल निवासी चौखा का दन्तोपत टेंगडी नगर के भूखण्ड संख्या 1 से 154 पर कब्जा था। श्री उम्मेदाराम ने इस हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर किये तथा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की। सभी न्यायालयों से निर्णय प्राधिकरण के पक्ष में हुआ। श्री उम्मेदाराम ने कब्जे के आधार पर भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है।

2- श्री मंगलाराम जाति माली निवासी चौखा का रामराज नगर के सेक्टर संख्या 5 की भूमि पर कब्जा था। प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 67 के अन्तर्गत निर्णय कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। श्री मंगलाराम ने भी कब्जे के आधार पर भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है।

3- श्री जीवनराम जाति सैन निवासी चौपासनी का जैसलमेर बाईपास से रामराज नगर जाने वाली 160 फीट चौड़ी सड़क के बीच में ढाणी बनाकर कब्जा था। प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 67 के अन्तर्गत निर्णय कर श्री जीवनराम का अतिक्रमण हटा दिया गया है। श्री जीवनराम ने कब्जे के आधार पर भूखण्ड देने का निवेदन किया है।

4- श्रीमती छोटा देवी का पूर्वी पाल रोड़ के खसरा संख्या 740/1002, 740/1003, 740/1004, 740/1014, 740/1015 एवं 740/1016 के भाग पर अतिक्रमण बाद सुनवाई हटाया गया है। प्रार्थीया के लम्बे समय से चल रहे कब्जे पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निवास हेतु योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु निवेदन किया है।

ऐसे प्रकरणों को गुणावगुण के आधार पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त भूखण्ड आवंटन किये जाने के संबंध में निर्णय लेकर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु आयुक्त महोदय को अधिकृत करने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर बैठक में प्राधिकरण में विभिन्न नीतिगत एवं शिफ्टिंग के प्रकरण में परीक्षण कर पत्रावली आयुक्त महोदय के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रेषित की जावे। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही की जाने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकरणों में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन आवश्यक होने पर अनुमोदन आगामी प्राधिकरण की बैठक में कर लिया जावे।

एजेण्डा संख्या :: विभिन्न संस्थाओं/समाजों को आवंटित भूमि/ भूखण्ड की बकाया राशि जमा नहीं कराने के संबंध में।  
17

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के समय संस्थाओं/समाजों को भूमि आवंटन की गयी थी। जिसमें उन संस्थाओं/समाजों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करायी जाकर मात्र 10 से 25 प्रतिशत राशि ही जमा कराकर राज्य सरकार को रियायती दर पर आवंटन हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये हैं। परन्तु ऐसे प्रकरणों में दो वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे प्रकरणों में आवंटन निरस्त किये जाने के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों में आवंटन निरस्त किये जाकर राज्य सरकार को सूचना दी जावे। मूल जमा राशि संबंधित संस्था/व्यक्ति को लौटा दी जावे।

एजेण्डा संख्या :: कालबेलिया समाज को भूमि आवंटन के संबंध में चर्चा।  
18

ग्राम चौखा में प्राधिकरण की योजना कुरेशी नगर एवं राजीव गांधी नगर के योजना क्षेत्र में योजना बनने से पूर्व 43 कालबेलिया परिवार इस स्थान पर सिवायचक भूमि पर वर्षों पूर्व से कच्चे पक्के घर बनाकर निवास कर रहे हैं। यहां एक बाबा रामदेव का मंदिर भी बना रखा है। इससे कुरेशी नगर एवं राजीव गांधी नगर के भूखण्ड प्रभावित है। कालबेलिया समाज के लोगों ने इसी स्थान पर व्यवस्थित कर भूखण्ड देने की मांग की है। राजीव गांधी एवं कुरेशी नगर के मध्य एक त्रिभुजाकार जगह उपलब्ध है उसमें 20 फीट गुणा 45 फीट आकार के भूखण्ड की योजना बनाकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से बसाया जा सकता है जिससे कुरेशी नगर एवं राजीव गांधी नगर योजना के भूखण्ड एवं सड़क आदि अतिक्रमण से मुक्त हो सकते हैं।

विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित जिला प्रमुख श्रीमती दुर्गा बलाई द्वारा यह जानकारी में लाया गया कि दन्तोपत टेंगडी नगर के पास भी 9 कालबेलिया परिवार पुराने बसे हुए हैं जिनके बारे में भी निर्णय लेना अपेक्षित होगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कुरेशी नगर एवं राजीव गांधी नगर के पास 43 कालबेलिया परिवार एवं दन्तोपत टेंगडी नगर के पास 9 कालबेलिया परिवार कुल 52 कालबेलिया परिवारों में से राजीव गांधी नगर के पास रह रहे 43 कालबेलिया परिवारों को 15 फीट गुणा 30 फीट आकार के भूखण्ड प्रत्येक परिवार को कुरेशी नगर के पास एवं दन्तोपत टेंगडी नगर के पास रह रहे 9 कालबेलिया परिवारों को दन्तोपत टेंगडी नगर में 15 फीट गुणा 30 फीट आकार के भूखण्ड आरक्षित की 25 प्रतिशत दर पर 4 किशतों में राशि वसूल करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे तथा इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या :: विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।  
19

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ग्राम सांगरिया एवं कुडी भगतासनी में प्रस्तावित विवेक विहार योजना के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित उपायुक्त-दक्षिण एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20 मई, 2010 की पालना में अवार्डधारियों से विकल्प प्राप्त किये जा चुके हैं। अवार्डधीन भूमि पर मौके पर लेवलिंग आदि का कार्य प्रगति पर है। योजना के संबंध में कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विस्तार विचार विमर्श कर लिया गया है। योजना के मानचित्र के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गयी। ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 192 एवं ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 235 का रकबा भी जल संरक्षण एवं पर्यावरण पार्क के रूप में योजना के साथ विकसित किया जाना है। उक्त खसरान् की भूमि को विवेक विहार योजना में सम्मिलित किया गया है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विवेक विहार योजना के संबंध में कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं लिये गये निर्णयों तथा अब तक की गयी कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या :: पावटा सी रोड का मार्गाधिकार 100 फीट से 80 फीट  
20 निर्धारित करने पर चर्चा

पावटा सी रोड निवासियों पावटा सी रोड का मार्गाधिकार 100 फीट से 80 फीट किये जाने की मांग की जाती रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सड़क का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश दिये गये। सर्वे के दौरान यह अंकित किया जावे कि किन किन क्षेत्रों में वर्तमान में सड़क की चौड़ाई 100 फीट एवं 80 फीट तथा इससे न्यून है। 80 फीट एवं 100 फीट के मध्य आने वाले व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं किन किन व्यक्तियों को पूर्व में मुआवजा दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या :: मेघवाल समाज के महिला छात्रावास हेतु निःशुल्क भूमि  
21 आवंटन के संबंध में विचार विमर्श।

मेघवाल समाज के कालूराम सोनेल ने दिनांक 24.06.06 को प्रार्थना-पत्र देकर मेघवाल समाज के महिला छात्रावास हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन करने का आवेदन किया। संस्था ने प्रार्थना पत्र के साथ रियायती आवंटन हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।

तहसीलदार न्यास से रिपोर्ट प्राप्त की गई और आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18.07.06 के प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा निर्णय लिया गया कि मेघवाल समाज के महिला छात्रावास हेतु खसरा नम्बर 677 रकबा 167 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.05 के अनुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया। अभियन्ता रिपोर्ट ली गई। कार्यालय पत्रांक 4207-10 दिनांक 04.09.06 द्वारा ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 में से 5 बीघा भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर राशि रुपये 12,14,025/- में आवंटन किया गया। जिलाध्यक्ष मेघवाल समाज ने निःशुल्क आवंटन की मांग कर प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निवेदन किया। इस कार्यालय के पत्रांक 4276 दिनांक 12.09.06 द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को निःशुल्क आवंटन बाबत भेजा गया।

उप शासन सचिव, प्रथम के पत्रांक प-3(13)नवि/3/07 दि. 29.11.07 के द्वारा संस्था को मंत्रीमण्डलीय उप समिति के निर्णयानुसार आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशर्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

मूल पत्रावली माथुर आयोग को प्रेषित की गई है। वहां से प्राप्त नहीं हुई है। प्राधिकरण की बैठक 17 जून 2009 के प्रस्ताव के क्रम में परिक्षण किया गया जिसमें निम्न कमियां पाई गई हैं।

1. भू-उपयोग आवासीय है।
2. आरक्षित दर मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर की लगाई गई है जबकि निकटतम योजना विजयाराजे नगर है।
3. उक्त भूमि भारतीय वायुसेना व राडार के निकट है।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि प्रकरण की पत्रावली माथुर जांच आयोग में लम्बित है। माथुर जांच आयोग के निर्णय उपरान्त प्रकरण में भूमि आवंटन के संबंध में विनिश्चय किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या :: जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर वन

## विभाग द्वारा चार दीवारी निर्माण कराये जाने के संबंध में।

आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्राधिकरण की रामराज नगर, दन्तोपत ठेंगडी नगर, राजीव गांधी नगर आदि योजनाओं में वन विभाग द्वारा नरेगा में चार दीवारी का निर्माण कार्य करवाया गया है जिससे योजना के भूखण्ड एवं नवीन योजना बनाये जाने का कार्य प्रभावित हो रहा है जबकि भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम अभिलेखों में अंकित है। मौके पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण का कार्य भी नहीं करवाया गया है। मण्डल वन अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इन स्थानों पर छीतरे रूप से वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया था जिस पर आयुक्त महोदय ने बताया कि वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण पाया नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि प्राधिकरण की भूमि पर योजना बनाने के लिए प्राधिकरण स्वतंत्र है। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग से योजना के मध्य एवं समीप में वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव लिया जा सकता है। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा यदि कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो इसकी राशि प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही करेगी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2010/1801/316-344. दिनांक :: 22 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 5- जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर
- 6- जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
- 7- आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 8- शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 9- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
- 10- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 11- अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 12- मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 13- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- 14- ~~आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर~~
- 15- ~~निदेशक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर~~

19 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 = 10  
(सचिव)

(ताराचन्द मीणा)

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 12

Recd 22  
+ 1  
23

316--344

22-11-2010.

परिशिष्ट-1

108

दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को प्रातः 11.00 बजे संभागीय आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2. श्रीमती दुर्गा बलाई, जिला प्रमुख, जोधपुर
3. श्री रवि जैन, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री हरजी लाल अटल, अति. कलक्टर-प्रथम, जोधपुर
5. श्री पी.के. पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री छगनसिंह शेखावत, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री अजय गुप्ता, अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
8. टी.सी. छाजेड़, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
9. श्रीमती कल्पना अग्रवाल, उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर
10. श्री ओ.पी. पुरोहित, उपायुक्त, आवासन मण्डल, जोधपुर
11. श्री आई.ए. मुगल, मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर
12. श्री जी.एल. बोहरा, कनिष्ठ भू-गर्भीय वैज्ञानिक, भू-जल विभाग, जोधपुर
13. श्री रमेश सतपाल, लेखाधिकारी नगर निगम, जोधपुर प्रतिनिधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर